

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

गुरुदास अग्रमगड साहू बनाम सरकार

बडगाव
किरम मुकदमा:-111,128 LRAct नं:384/प्रा0पत्र/सत्र/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/6/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्जे सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/6/25	पत्रावली पेज 51 तबल्ली कंप Report TDR जजान वामने जतापर तबल्ली कंप TDR Report हेतु पत्रावली दिनांक 17/25 को पेज 51/5	
11/7/25	अदालत पर हुई अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित है। आज भामि उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवशा बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। मय कार्य में व्यस्त है। अभिभावकगण कन्डोलेंस पर है। अतः अदालती आविक कार्यवाही हेतु दिनांक 10/7/25 को पेश हो TDR रिपोर्टि जस्त	
10/7/25	वकील जजाने उप/TDR रिपोर्टि जस्त। जवाब पेशीकार सरकार पेश किया/बहस ज. फा सुनी गई। पत्रावली वास्तु आदेश दि. 15/7/25 को पेश हो।	
15/7/2025	पत्रावली आज वास्तु आदेश पेश हुई। प्रा0पत्र प्रार्थी न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ 3 से लिखा जाकर शाह मिठ किया गया। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>फैजल शुभा छोकर नम्बर से उम हो बाद तारीख तकमील निममानुता दाखिल दफतर हो १६/५</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०

384/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा

10.06.2025

तारीख फैसला

15.07.2025

गुरुद्वारा अगमगढ़ साहब बडगाव जय लखविन्दर सिंह उम्र वयस्क पुत्र श्री गुरुदयाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी गुरुद्वारा बडगाव बून्दी रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

--प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

-अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री अखिलेश जैन

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:- पेटोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 103 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 236/132 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 237/133 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा सं. 104 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा सं. 240/139 रकबा 0.4694 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काशत है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहते है। जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेड़ा से सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है इसलिए प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी तहसीलदार तालेड़ा से करवाई जाने बाबत आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त आराजीयत माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 103 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 236/132 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा सं. 237/133 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा सं. 104 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा सं. 240/139 रकबा 0.4694 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा को दिये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा दिनांक 27.6.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काशत होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर किसी भी न्यायालय में स्थगन एवं वाद दायर नहीं होना अंकित किया।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 6 नया 7 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 50 नया 107 वाके ग्राम

6/12/25




बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 6 नया 7 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 50 नया 107 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 में प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी की उपस्थिति में वाद वर्णित खतौनी संख्या पुरानी 6 नया 7 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 एवं नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 50 नया 107 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।


(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा